



प्रेस-नोट

दिनांक- 05.09.2022

जनपद अम्बेडकरनगर थाना राजेसुल्तानपुर पुलिस टीम द्वारा लोगों को भ्रमित कर धर्मपरिवर्तन करा रहे कुल चार अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

दिनांक 04.09.2022 को थाना राजेसुल्तानपुर पर एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गयी कि कुछ व्यक्ति द्वारा ग्राम समडीह गदाईपुर में लोगों को भ्रमित कर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उपरोक्त सूचना पर थाना राजेसुल्तानपुर पुलिस टीम द्वारा ग्राम समडीह गदाईपुर पहुँचकर ईसा मसीह की फोटो तथा ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तक बाईबिल को रखकर लोगो को भ्रमित कर धर्मपरिवर्तन करा रहे कुल चार अभियुक्तगण 1. लालबिहारी पुत्र किशुन राजभर 2. ज्ञानमति राजभर पत्नी लालबिहारी 3. कविता राजभर पत्नी सुरेन्द्र नि0गण ग्राम समडीह थाना राजेसुल्तानपुर अ0नगर 4. नीता राजभर पुत्री रामदास नि0 ग्राम करमहा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 216/22 धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम वर्ष 2021 पंजीकृत किया गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों को नियमानुसार न्यायालय अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

विवरण पंजीकृत अभियोग

1. एनसीआर न0 228/13 धारा 323/504 भादवि
2. मु0अ0सं0 12/22 धारा 188/269/271 भादवि
3. मु0अ0सं0 216/22 धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 2021

विवरण गिरफ्तार अभियुक्त

1. लालबिहारी पुत्र किशुन राजभर
2. ज्ञानमति राजभर पत्नी लालबिहारी
3. कविता राजभर पत्नी सुरेन्द्र नि0 ग्राम समडीह थाना राजेसुल्तानपुर अ0नगर
4. नीता राजभर पुत्री रामदास नि0 ग्राम करमहा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

विवरण बरामदगी

01. एक अदद ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक (बाईबिल)
02. एक अदद पम्पलेट

विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम

1. थाना प्रभारी श्री जितेन्द्र सिंह मय फोर्स